

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क. :- 758 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 28 / 08 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र — मालनपुर

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. देवेन्द्र शर्मा पुत्र काशीराम शर्मा उम्र 34 वर्ष

निवासी :- गलैथा, जिला—मुरैना, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 08 / 03 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी देवेन्द्र पर धारा :- 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 05 / 08 / 2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के सामने राष्ट्रीय लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन क्रमांक एम.पी. 07 / एच.बी. / 3514 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बंटी की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उस पर सवार कुम्भकरण को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति एवं मृतक बंटी को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में आरोपी एवं आहत कुम्भकरण के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05 / 08 / 2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के सामने राष्ट्रीय लोकमार्ग मालनपुर में, वाहन क्रमांक एम.पी.07 / एच.बी. / 3514 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 / एम.ई. / 6276 पर सवार कुम्भकरण को टक्कर मारकर उपहति कारित करने एवं मृतक बंटी को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने की मौखिक रिपोर्ट मृतक बंटी के भाई फरियादी मिथलेश द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन क्रमांक एम.

पी.07/एच.बी./3514 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 164/2014 अन्तर्गत धारा 279, 337 एवं 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत कुम्भकरण के एक्स-रे परीक्षण में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी मिथलेश की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी मिथलेश, साक्षी दिनेश, मचल सिंह, पान सिंह एवं कुम्भकरण के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त देवेन्द्र के विरुद्ध धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं आहत कुम्भकरण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी देवेन्द्र ने दिनांक :- 05/08/2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के सामने राष्ट्रीय लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक बंटी को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी मिथलेश अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 05 अगस्त 2014 की शाम 04:30 बजे की है। उस दिन वह अपने चाचा दिनेश के साथ स्टेट बैंक के सामने डेले से सब्जी खरीद रहा था। तब उसका भाई बंटी मोटर साईकिल से ग्वालियर की तरफ से आ रहा था और उसकी मोटर साईकिल के पीछे कुम्भकरण अ.सा.03 भी बैठा था, जब वह बैंक के सामने आया तब ट्रोल्ला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 चालक ने पीछे से मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी। ट्रोल्ला की स्पीड 35 किलोमीटर/प्रतिघण्टा की थी एवं धीरे चल रहा था। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसका भाई ट्रोल्ला के पहिये के नीचे आ गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद उसने मृत्यु की सूचना थाने को दी थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल जाकर नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे मृत्यु जांच में उपस्थित होने की सूचना दी थी, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। लाश पंचायते नामे की कार्यवाही उसके सामने हुई थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसे मृतक बंटी की लाश पी.एम. के बाद सुपुर्द की गई थी, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी मिथलेश अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाला ट्रोल्ला तेजी एवं लापरवाही से चल रहा था। साक्षी ने स्वतः कहा कि ट्रोल्ला का चालक शराब पीये हुये था, जब वह पी.एम. के बाद थाने पर गया, तो वहाँ आरोपी शराब पीये हुये था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि प्र.पी.07 के ए से ए भाग वाली बात उसने पुलिस को बयान देते समय बताई थी।

09. उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षण में फरियादी मिथलेश अ.सा.01 ने दुर्घटना के समय उसके भाई मृतक बंटी द्वारा मोटर साईकिल चलाना और उक्त मोटर साईकिल पर आहत कुम्भकरण अ.सा.03 का पीछे बैठना दर्शित किया है, जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में मिथलेश अ.सा.01 का कहना है कि मोटर साईकिल को कुम्भकरण

अ.सा.03 चला रहा था और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में मिथलेश अ.सा.01 का कहना है कि मोटर साईकिल पर उसका भाई मृतक बंटी पीछे बैठा हुआ था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में मिथलेश अ.सा.01 का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था कि घटना के समय बंटी मोटर साईकिल चला रहा हो और कुम्भकरण पीछे बैठा हो। फरियादी मिथलेश अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने मर्ग सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.07 में ऐसा नहीं लिखाया था कि उसका भाई बंटी मोटर साईकिल चला रहा था और कुम्भकरण पीछे बैठा था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि मर्ग सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.07 में घटना के समय बंटी मोटर साईकिल चलाये जाने एवं कुम्भकरण पीछे बैठा होने का तथ्य का उल्लेख है। इस प्रकार दुर्घटना के समय बंटी अथवा कुम्भकरण में से कौन मोटर साईकिल चला रहा था और कौन पीछे बैठा था, इस वावत् फरियादी मिथलेश अ.सा.01 के मुख्य परीक्षण कथन एवं प्रति-परीक्षण कथन के तथ्यों के मध्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराये गये मर्ग सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जिससे यह प्रकट होता है कि संभवतः मिथलेश अ.सा.01 दुर्घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, अन्यथा वह इस वावत् विरोधाभास पूर्ण कथन नहीं करता।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में फरियादी मिथलेश अ.सा.01 का कहना है कि मोटर साईकिल जिसे कुम्भकरण चला रहा था, वह दुर्घटना होने से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। इस साक्षी के अनुसार कुम्भकरण जिस मोटर साईकिल को चला रहा था, उसी पर आहत कुम्भकरण एवं साक्षी का मृतक भाई बंटी दुर्घटना के समय बैठे हुये थे। यह संभव नहीं है कि दुर्घटना में किसी वाहन में टक्कर लगे और उक्त दुर्घटना में टक्कर लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाये और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाये, परन्तु जिस पर उक्त घायल एवं मृतक सवार हो, वह वाहन क्षतिग्रस्त ना हो। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 09 में फरियादी मिथलेश अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि मोटर साईकिल क्रमांक 6276 अर्थात् फरियादी मिथलेश अ.सा.01 के अनुसार जिस मोटर साईकिल पर दुर्घटना के समय बंटी एवं कुम्भकरण सवार थे, को पुलिस ने मौके से जब्त नहीं किया था। इस प्रकार इस साक्षी यह कहना है कि पुलिस द्वारा उक्त मोटर साईकिल को मौके से जब्त किया गया था, जबकि अभियोग पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त मोटर साईकिल को पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया था। इस प्रकार यह साक्षी मिथलेश अ.सा.01 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी देवेन्द्र शर्मा की पहचान के संबंध में एवं दुर्घटना के समय ट्रोलर क्रमांक एम. पी.07/एच.बी./3514 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से

चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

11. आहत/साक्षी कुम्भकरण अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 20/01/2016 से लगभग डेढ़ साल पुरानी होकर दोपहर लगभग 02-02:30 बजे की है। वह अपने दोस्त बंटी जाटव के साथ मोटर साईकिल पर सवार होकर ग्वालियर से लहचूरा का पुरा जा रहा था। तभी मालनपुर एसबीआई बैंक के पास एक ट्रक ने पीछे से हमारी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में, आंख में एवं अन्य जगह चोट आई थी तथा बंटी की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आहत कुम्भकरण अ.सा.03 ने आरोपी देवेन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक :- 05/08/2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के सामने राष्ट्रीय लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बंटी की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित करने तथा बंटी की मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् आहत कुम्भकरण अ.सा.03 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके पुलिस कथन प्र.पी.09 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

12. साक्षी जोगेन्द्र सिंह अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 सन्धु ट्रान्सलॉजिस्टिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व का है, वही फर्म उक्त ट्रौला का पंजीकृत स्वामी है। वह उक्त ट्रौला के संबंध में वह उक्त फर्म का मुख्त्याराम था। साक्षी आगे कहता है कि वह नहीं बता सकता कि दिनांक : 05/08/2014 को उक्त ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को कौन चालक चला रहा था। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.17 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी जोगेन्द्र सिंह अ.सा.09 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी देवेन्द्र शर्मा दिनांक : 05/08/2014 को ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को चला रहा था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि दिनांक : 05/08/2014 को शाम लगभग साढ़े चार बजे आरोपी देवेन्द्र शर्मा ने उक्त ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बंटी की मोटर साईकिल में टक्कर मारकर मोटर साईकिल पर सवार कुम्भकरण को घोर उपहति एवं बंटी की मृत्यु कारित की थी। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि उक्त घटना की जानकारी उसे आरोपी देवेन्द्र द्वारा फोन पर दी गई थी। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया

है कि उसने आरोपी से कहा था कि कानूनी कार्यवाही करा लेंगे एवं इस आशय का प्रमाणीकरण प्र.पी.17 उसके द्वारा पुलिस को दिया गया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उसका ट्रोल्ला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार जोगेन्द्र अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके प्रमाणीकरण प्र.पी.17 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं। इस प्रकार जोगेन्द्र अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी देवेन्द्र शर्मा की पहचान के संबंध में एवं दुर्घटना के समय ट्रोल्ला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

13. साक्षी पान सिंह अ.सा.04, दिनेश कुमार अ.सा.05, मचल सिंह अ.सा.07 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर मौजूद होने का तथ्य एवं शेष अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

14. प्रकरण के विवेचक महावीर शर्मा अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/08/2014 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 164/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने फरियादी मिथलेश की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी मिथलेश, साक्षी दिनेश, मचल सिंह, पान सिंह एवं आहत कुम्भकरण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही सुप्रीम फैंक्ट्री मालनपुर के सामने आरोपी देवेन्द्र से ट्रोल्ला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 मय रजिस्ट्रेशन, बीमा आरोपी देवेन्द्र से जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.15 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी देवेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.16 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा जोगेन्द्र सिंह प्रमाणीकरण प्र.पी.17 लिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में महावीर अ.सा.08 का कहना है कि उसे साक्षी मिथलेश अ.सा.01 ने पुलिस कथन प्र.पी.07 का ए से ए भाग बताया था, जबकि मिथलेश अ.सा.01 का कहना है कि उसने ए से ए भाग का ऐसा कोई कथन पुलिस को नहीं दिया था। इसी प्रकार महावीर अ.सा.08 का प्रति-परीक्षण के पद

क्रमांक 03 में कहना है कि साक्षी कुम्भकरण, पान सिंह एवं मचल सिंह ने उनके पुलिस कथनों का ए से ए भाग उसे दिया था। जबकि कुम्भकरण पान सिंह एवं मचल सिंह का उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि उन्होंने उनके पुलिस कथनों कमशः प्र.पी.09, प्र.पी.10 एवं प्र.पी.14 का ए से ए भाग पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार उक्त पुलिस कथनों के ए से ए भाग का कथन महावीर अ.सा.08 को देने अथवा न देने के संबंध में महावीर अ.सा.08, कुम्भकरण अ.सा.03, पान सिंह अ.सा.04 एवं मचल सिंह अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.02 एवं डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.06 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल मृतक बंटी एवं आहत कुम्भकरण को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

16. आरोपी एवं आहत कुम्भकरण के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और आहत कुम्भकरण अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी देवेन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक :- 05/08/2014 को दोपहर लगभग 04:30 बजे भारतीय स्टेट बैंक के सामने राष्ट्रीय लोकमार्ग मालनपुर में, उसके आधिपत्य के वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक बंटी को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी देवेन्द्र शर्मा के विरुद्ध धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी देवेन्द्र शर्मा को धारा 279 एवं 304 ए भा.द.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./3514 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सन्धु ट्रान्सलॉजिस्टक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद